बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 200693 / पटना, दिनांक 11/09/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/प्रति-07-01/2008

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
नालन्दा ।

विषयः- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों को ए0सी0पी0, ग्रेच्यूटी तथा पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।**

प्रसंगः- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालन्दा का पत्रांक- 1902 दिनांक- 10.07.2014 एवं विभागीय पत्रांक- 176323 दिनांक- 05.02.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट- 1860 के अंतर्गत एक निबंधित स्वायत्ताशासी निकाय है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 7566 दिनांक- 14.07.2010 के कंडिका-3 के निहित प्रावधान के आलोक में ए0सी0पी0 केवल सरकारी एवं नियमित कर्मचारी को ही दिया जाने का प्रावधान है । अतः राज्य के डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को यह अनुमान्य नहीं है । साथ ही राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों को सरकारी सेवक का दर्जा नहीं होने के कारण ग्रेच्यूटी एवं पेंशन की सुविधा देय नहीं है जिसे पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक- 93214 दिनांक- 27.02.2012 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है ।

अतः कृपया ऐसे सभी मामलों में उक्त प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार) 11/09/14

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक 200693 / पटना, दिनांक 11/09/14

प्रतिलिपिः- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / श्री विश्वनाथ चौधरी, ग्राम+पोस्ट- पचलखी, भाया-हथुआ, जिला- सिवान को सूचनार्थ प्रेषित ।

11/09/14

विशेष कार्य पदाधिकारी

142

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 176323 / पटना, दिनांक 05/02/2014

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/प्रति0-07-01/2008

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषयः- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों को ए0सी0पी0, ग्रेच्यूटी तथा पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मियों द्वारा समय-समय पेंशन/ग्रेच्यूटी एवं ए0सी0पी0 की माँग की गई है । उल्लेखनीय है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत एक निबंधित स्वायत्ताशासी निकाय है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 7566 दिनांक- 14.07.2010 के कंडिका-3 के निहित प्रावधान के आलोक में ए0सी0पी0 केवल सरकारी एवं नियमित कर्मचारी को ही दिया जाने का प्रावधान है । अतः डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को यह अनुमान्य नहीं है ।

पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक- 93214 दिनांक- 27.02.2012 द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है । ग्रेच्यूटी एवं पेंशन की आदेयता की सुविधा देय नहीं है स्पष्ट किया जा चुका है । यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रबंध पर्षद की सहमति से अव्यवहृत उपा0 अवकाश के बदले में समतुल्य नगद राशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

कृप्या ऐसे सभी मामलों में उक्त प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

05/02/14
(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ई-मेल

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 93214 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 27-02-12

ग्रा०वि० - 4 (3) अभि.- 1-7/11

प्रेषक,

डा. सतीश प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (पशुपालन)।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
पटना।

विषय:- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में सीधे नियुक्त कर्मियों का सेवावधि में उनकी मृत्यु के उपरांत अथवा सेवा निवृत्ति के समय अव्यहवत अधिकतम 300 दिनों के उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि नगद रूप में भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1025 दिनांक 26.03.11 के प्रसंग में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित एक स्वशासी निकाय है तथा अभिकरण के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते है फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी की तरह पेंशन / ग्रेच्युटी की आदेयता की सुविधा देय नहीं है।

अत: प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार अव्यहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से विभाग को भी अवगत करायी जाय।

विश्वासभाजन

24/2/12

(सतीश प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (पशुपालन)

ज्ञापांक:- 93214 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 27-02-12

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/12

संयुक्त निदेशक (पशुपालन)